

भारत के राज्यपाल और उपराज्यपाल की वर्तमान सूची

राज्यपाल (Governor)

अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति उसके अंदर निहित होती है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है लेकिन एक ही राज्यपाल को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं और सभी कार्य उन्हीं के नाम से होते हैं। राज्यपाल विभिन्न कार्यकारी कार्यों के लिए महज अपनी सहमति देता है। भारतीय संविधान के मुताबिक, राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता है। राज्य की कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अधीन होती हैं।

राज्यपाल की योग्यता (Governor's Eligibility) -

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
3. किसी भी लाभ के पद पर न हो,
4. वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।
5. वह राज्य से बाहर का व्यक्ति हो

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of governor)

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष के लिए की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किन्तु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है।

शपथ

राज्यपाल पद ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है।

राज्यपाल का कार्यकाल (Governor's tenure) -

राज्यपाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके पूर्व वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं या राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करता है। अतः उसे महाभियोग से नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल को हटाये जाने का संविधान में कोई आधार वर्णित नहीं है। अतः उसे किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है।

भारत के राज्यपाल और उपराज्यपाल की वर्तमान सूची

क्र.	राज्य का नाम	राज्यपाल का नाम	पदग्रहण (कार्यकाल अवधि)
1	आन्ध्र प्रदेश	ई.एस.एल. नरसिम्हन	28 दिसंबर 2009
2	अरुणाचल प्रदेश	बी.डी. मिश्रा	3 अक्टूबर 2017
3	असम	बनवारीलाल पुरोहित	10 अक्टूबर 2017
4	बिहार	लालजी टण्डन	22 अगस्त 2018
5	छत्तीसगढ़	श्री आनंदीबेन पटेल	15 अगस्त 2018
6	गोवा	मृदुला सिन्हा	31 अगस्त 2014
7	गुजरात	ओम प्रकाश कोहली	16 जुलाई 2014
8	हरियाणा	सत्यदेव नारायण आर्य	22 अगस्त 2018
9	हिमाचल प्रदेश	आचार्य देवव्रत	12 अगस्त 2015
10	जम्मू और कश्मीर	सत्यपाल मलिक	22 अगस्त 2018
11	झारखण्ड	द्रौपदी मुर्मू	18 मई 2015
12	कर्नाटक	वजुभाई वाला	1 सितंबर 2014
13	केरल	पी. सथाशिवम	5 सितंबर 2014
14	मध्य प्रदेश	आनंदीबेन पटेल	23 जनवरी 2018
15	महाराष्ट्र	सी. विद्यासागर राव	30 अगस्त 2014
16	मणिपुर	नजमा हेपतुल्ला	21 अगस्त 2016
17	मेघालय	तथागता राय	22 अगस्त 2018
18	मिजोरम	निर्भय शर्मा	26 मई 2015
19	नागालैंड	प्रद्वानाभ आचार्य	19 जुलाई 2014
20	ओडिशा	गणेशी लाल	29 मई 2018
21	पंजाब	वी.पी. सिंह बदनौर	22 अगस्त 2016
22	राजस्थान	कल्याण सिंह	04 सितंबर 2014
23	सिक्किम	गंगा प्रसाद	20 जुलाई 2013
24	तमिलनाडु	बनवारीलाल पुरोहित	6 अक्टूबर 2017
25	तेलंगाना	ई०एस०एल० नरसिंहन, (अतिरिक्त प्रभार)	2 जून 2014
26	त्रिपुरा	कप्तान सिंह सोलंकी	22 अगस्त 2018
27	उत्तर प्रदेश	राम नाईक	22 जुलाई 2014
28	उत्तराखण्ड	बेवी रानी मौर्या	22 अगस्त 2018

क्र.	राज्य का नाम	राज्यपाल का नाम	पदग्रहण (कार्यकाल अवधि)
20	पश्चिम बंगाल	केशरी नाथ त्रिपाठी	24 जुलाई 2014

उपराज्यपाल :- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह , दिल्ली , पुडुचेरी

प्रशासक:- दादरा और नागर हवेली , दमन और दीव, लक्षद्वीप

नोट : पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों के नाम की सूची

क्र.	केंद्र शासित प्रदेश	उपराज्यपाल / प्रशासक	नाम	पदग्रहण (कार्यकाल अवधि)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप	उपराज्यपाल	एडमिरल डी.के. जोशी	09 अक्टूबर 2017
2	चंडीगढ़	प्रशासक	वीपी सिंह बदनौर	22 अगस्त 2016
3	दादरा और नागर हवेली	प्रशासक	प्रफुल्ल खोदा पटेल	30 दिसंबर 2016
4	दमन और दीव	प्रशासक	प्रफुल्ल खोदा पटेल	29 अगस्त 2016
5	दिल्ली	उपराज्यपाल	अनिल बाजपेई	31 दिसंबर 2016
6	लक्षद्वीप	प्रशासक	फारूक खान	6 सितंबर 2016
7	पुडुचेरी	उपराज्यपाल	किरण बेदी	29 मई 2016